न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :–सावन कुमार चायल (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 98/2017
निर्णय दिनांक 05/07/2017

1. कमला देवी पत्नी रामकिशन जाति मीणा निवासी रूपवास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीया

बनाम

1. प्रकाश चन्द पुत्र नेमीचन्द जाति जैन निवासी फागी ।
2. रमेश चन्द्र पुत्र नेमीचन्द जाति जैन निवासी फागी
3. सरकार जरिये तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी किये जाने बाबत्

उपस्थिति :–

1. सीताराम सैनी विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया
2. विनय जैन विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:निर्णयः– दिनांकः–05/07/2017

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना–पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण निम्न प्रकार पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 3041/1 रकबा 5 बीघा ,3041/2 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चन्द्रपुरा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित है जिसकी प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एंव काबिज काश्त है। उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण आपस मे पडोसी खातेदार है एवं आराजी खसरा नम्बर 3021/3 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 3021/1 रकबा 15 बीघा कुल किता 2 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चन्द्रपुरा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित है जिसके अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, लेकिन प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर दक्षिणी सीमा पर अप्रार्थीगण आये दिन हर वर्ष मेरे–कोर को दबाते चले

आ रहे है आये दिन मेरे–कोर की सीमाओं को लेकर लडाई–झगडा करते रहते है इसलिये प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3041/1 व 3041/2 का विधिवत सीमाज्ञान करवा लिया है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीया की भूमि मे अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है इसलिये प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी करवाई जाकर पुलिस इमदाद दिलवाया जाना कानूनन न्यायोचित है, ताकि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हो सकें। उक्त आराजीयात बाबत् प्रार्थीया ने सीमाज्ञान करवाने बाबत् प्रार्थना –पत्र उपतहसीलदार माधोराजपुरा के समक्ष पेश किया। उपतहसीलदार माधोराजपुरा के आदेश क्रमांक/सीमाज्ञान/15/दिनांक 03.06.2013 की पालना मे उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2013 प्रस्तुत की गई जिस पर मौके पर समक्ष प्रार्थीया एवं गॉव के लोग व पडोसी खातेदारों ने सोच–समझकर अपने–अपने हस्ताक्षर किये एवं अप्रार्थीगण को सूचना देने के बाद भी जानबुझकर मौके पर उपस्थित नही हुये उक्त सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2013 की आपति अप्रार्थीगण ने आज–तक नही की है बल्कि उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक प्रार्थीया की खातेदारी भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी की तरफ दक्षिणी सीमा की ओर निकलती है उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.06.2013 के मुताबिक पत्थरगढी करवाई जाकर प्रार्थीया को पुलिस इमदाद दिलवाई जाना आवश्यक है अगर उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी नही करवाई जाती है तो अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीया की भूमि मे अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जायेंगे जिससे आपस मे लडाई–झगडा होगा एवं व्यर्थ मे मुकदमें बाजी बढेगी इसलिये न्यायहित मे प्रार्थीया को पुलिस इमदाद दी जाकर उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुताबिक सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2013 के अनुसार प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 3041/1 व 3041/2 की पुलिस इमदाद मे पत्थरगढी करवाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई।

अप्रार्थी सं. 01 व 02 की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के द्वारा माननीय न्यायालय से प्रार्थना पत्र पेश करते हुये स्वयं की भूमि से सीमाज्ञान

दिनांक 26.06.2013 को करवाया जाना बताते हुये उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2013 के बाबत् अप्रार्थीगण के द्वारा आज तक कोई आपत्ति नही किया जाना अकिंत करते हुए पत्थरगढी का अनुतोष चाहा है।जबकि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2013 बाबत् जानकारी मिलने पर श्रीमान् उप तहसीलदार माधोराजपुरा के यहां दिनांक 28.06.2013 व दिनांक 05.07.2013 को अप्रार्थी सं. 01 व 02 के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर दी थी। जो श्रीमान उपतहसीलदार माधोराजपुरा के यहां विचाराधीन है। जिसकी छाया प्रति सलंग्न है। पटवारी हल्का चांदमाकलां द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम चन्द्रपुरा दिनांक 06.06.2013 को किये गये सीमाज्ञान की जानकारी सीमाज्ञान किये जाने से पूर्व अप्रार्थी सं. 01 व 02 को कोई सूचना नही दी गई तथा अप्रार्थी सं.2की हार्ट सर्जरी होने से अस्पताल मे भर्ती था तथा उसका इलाज चल रहा था। जिसकी छाया प्रति संलग्न है। बाद मे उक्त सीमाज्ञान की जानकारी मिलने पर अप्रार्थी सं. 02 ने भी श्रीमान उपतहसीलदार माधोराजपुरा के यहां आपत्ति दर्ज करा दी थी तथा पटवारी हल्का चान्दमाकलां ने फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26. 06.2013 मे दक्षिण मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 3059 गैर मु0 चाह से जरीब चलाकर दक्षिणी सीमा कायम किया जाना बताया गया है। जबकि खसरा नं. 3059 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा किस्म बंजड 1 रूकमा देवी पत्नि घासी जाट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है।जिसकी जमाबन्दी की छाया प्रति संलग्न है। सीमाज्ञान केवल पुराने पुख्ता मकान से ही किया जा सकता है जबकि खसरा नं. 3059 मे न तो कोई पुराना चाह एवं न ही कोई नवीन चाह है। जिससे उक्त कि गई सीमाज्ञान की कार्यवाही स्वयमेव ही दूषित हो जाती है। पटवारी हल्का चान्दमा कलां द्वारा किये गये सीमाज्ञान की रिपोर्ट मे कहीं पर भी नाप नहीं दर्शाई गई है कि किस पुख्ता मुकाम से कितनी जरीब व कितने गटटे चलाकर कौन–सा मुकाम कायम किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि पटवारी हल्का चान्दमा कलां ने प्रार्थीया से मिलीभगत कर जाल साजी पूर्वक गलत तरीके से प्रार्थीया को नाजायज लाभ पहुचानें के उददेश्य से सीमाज्ञान किया गया था। जो काबिले खारीज किये जाने योग्य है।

पूर्व मे भी प्रार्थीया के पति रामकिशन मीणा के द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी आराजी खसरा नं. 3021/1 रकबा 15 बीघा भूमि में बोई गई फसल को नष्ट करने व अवैध रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था। जिसमे एक एफआईआर नं. 252/2013 दिनांक 05.07.2013 को पुलिस थाना फागी मे दर्ज करवाई थी।जिसकी छाया

उपखण्ड अधिकारी, फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रति सलंग्न है। जिसमे प्रार्थीया के पति द्वारा करवाई थी।जिसकी छाया प्रति सलंग्न है।जिसमें प्रार्थीया के पति द्वारा अप्रार्थी सं. 02 से सहमति पत्र की लिखावट से राजीनामा हुआ था जिसमें उक्त मुकदमें का निस्तारण करवा लिया गया। जिसमें प्रार्थीया के पति रामकिशन मीणा ने एक सहमति पत्र लिखकर दिया था कि रमेश चन्द जैन फागी की हार्ट सर्जरी होने के कारण से सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2013 को उपस्थित नही थे एवं आवेदन कर्ती प्रार्थीया कमला देवी धर्मपत्नि रामकिशन मीणा भी सीमाज्ञान के समय उपस्थित नही थी तथा दिनांक 26.06.2013 को किये गये सीमाज्ञान से स्वयं प्रार्थीया का पति रामकिशन मीणा सीमाज्ञान के समय मौजूद था जो उक्त किये गये सीमाज्ञान से संतुष्ट नही था। जिसने स्वयं रामकिशन मीणा ने अप्रार्थी सं. 02 को एक सहमति पत्र लिखकर दिया था जिसकी छाया प्रति संलग्न है। जिससे साफ जाहिर होता है कि जब उक्त किये गये सीमाज्ञान से ही सीमाज्ञान के समय मौजूद स्वये प्रार्थीया का पति रामकिशन मीणा ही संतुष्ट नहीं था तो प्रार्थिया के द्वारा दिया गया पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र शून्य है। व काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं. 01 व 02 के द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के यहां उनवानी रमेश चन्द बनाम रामकिशन वगै0 के नाम से वाद सं. 223/13 स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 रा. का. अधिनियम का पेश किया था जिससे माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2014 को अप्रार्थी सं. 01 व 02 के पक्ष मे की गई थी। जिसमें प्रार्थीया व उसके पति रामकिशन मीणा को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था कि अप्रार्थी सं. 01 व 02 की खातेदारी आराजी खसरा नं. 3021/3 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नं. 3021/1 रकबा 15 बीघा कुल किता 02 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि वाके ग्राम चन्द्रपुरा तहसील फागी में स्थित उक्त अप्रार्थी सं. 01 व 02 की आराजी भूमि के चारो ओर कूंचो की डोल लगी हुई है। जिसमें प्रार्थीया व उसके पति रामकिशन मीणा के द्वारा कब्जे काश्त मे दखलअंदाजी न स्वयं करे व नही अन्य से करावें तथा न ही वादीगण यानि अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 को बेदखल करे।आराजी की मौके की यथा स्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया गया था।जिसकी छाया प्रति सलंग्न है। उक्त निर्णय अन्तिम निर्णय है जिसके विरूद्व कोई अपील प्रार्थीया ने पेश नही की है जब तक सक्षम न्यायालय उक्त निर्णय को निरस्त नही करता तक तक उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। वर्तमान समय मे सांवणू की फसल के लिए दिनांक 03.06.2017 को अप्रार्थी सं. 01 व 02 के आराजी खसरा नं. 3021/3 रकबा 7 बीघा 14 बीस्वा व खसरा नं. 3021/1 रकबा 15 बीघा कुल किता 02

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

रकबा 22 बीघा की आराजी भूमि मे अप्रार्थीगण ने ग्वार व बाजरे की फसल की बुवाई कर रखी है।

अप्रार्थी सं. 02 की आराजी भूमि खसरा नं. 3021/1 रकबा 15 बीघा मे से 500 वर्गमीटर भूमि को कृषि भूमि से आवासीय भूमि मे संपरिवर्तन दिनांक 17.06.2013 को करवा लिया गया था। जिसकी छाया प्रति संलग्न है। उक्त भूमि में से 500 वर्गमीटर भूमि आबादी भूमि हो चुकी है। जिसके संबंध में प्रकरण सुनने का मान्य न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज किये जाने योग्य है। जिसमे अप्रार्थी सं. 02 ने करीब 40 वर्षो से अपनी आराजी भूमि के चारो तरफ कूचों की डोल लगवाकर उत्तरी मेर पर कुआं व पुख्ता मकान बना रखे है। कूंचो की मेर तक अप्रार्थी सं. 01 व 02 की काबिज काश्त कृषि विधुत कनेक्शन ले रखा है जिसका उपयोग व उपभोग अप्रार्थीगण निरन्तर करते चले आ रहे है।

अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर श्रीमानजी से सादर निवेदन है कि उक्त प्रारम्भिक आपत्ति को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी किये जाने बाबत् को खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी 03 पैरोकार सरकार ने अपने जवाब मे बताया कि वर्ष 2013 मे उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवा लिया था किन्तु पडोसी कास्तकार उपस्थित नहीं होने के कारण सीमा पर तनाजा बताया है इसलिये दोनो पक्षो की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करवाना उचित होगा।

प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ती पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अस्वीकार कर खारिज किया गया।

वकील अप्रार्थी 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र का जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण शान्तिप्रिय व्यक्ति है काफि वर्षो से अपनी भूमि के चारो ओर डोल लगाकर काबिज काश्त है अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि पर कुआ भी खुदवा रखा है एवं पुखता कमरे बनाकर आवासीय व कृषि विधुत कनेकशन लेकर उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे है जिससे प्रार्थीया की जमीन पर अतिक्रमण करने व मेर–कोर दबाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। पूर्व मे पटवारी हल्का चांदमाकला द्वारा किया गया सीमाज्ञान सही नही है प्रार्थीया से मिलकर जालसाजी से रिपोर्ट तैयार की गई थी दिनांक 26.06.13 को किये

गये सीमाज्ञान के वक्त अप्रार्थीगण मौजूद नही थें इस सीमाज्ञान से स्वंय प्रार्थीया के पति भी सन्तुष्ट नही थे इसलिये पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र शून्य है।

अतः जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे व अप्रार्थी 1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर खसरा 3021/3 रकबा 7 बीघा 14 विस्वा व खसरा नम्बर 3021/1 व रकबा 15 बीघा कुल किता 2 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि वाके ग्राम चन्द्रपुरा तहसील फागी का टीम गठीत कर सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पर बहस सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य अपनी अपनी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद है पैरोकार सरकार ने अपने जवाब मे बताया है कि वरवक्त सीमाज्ञान 26.06.13 को पडोसी खातेदार मौके पर उपस्थित नही होने के कारण सीमा पर तनाजा बताया है। ऐसी स्थिति मे पक्षकारान के मध्य अनावश्यक वाद उत्पन्न नही हो इस तथ्य को मध्येनजर रखते हुऐ दोनो पक्षो की भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का निस्तारण करते हुऐ तहसीलदार फागी को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी 1 व 2 दोनो पक्षो की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करते हुऐ पत्थरगढी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2017 फोलोअप कोर्ट कैम्प फागी पर सरे इजलास सुनाया गया।

(सावन कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर